न्यायालय–जितेन्द्र प्रधान, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बस्तर स्थान जगदलपुर (छ0ग0)

//रिमाण्ड आदेश//

कमांक क्यू./मु0न्या0मजि0/2025 जगदलपुर दिनांक–05/04/2025

मैं **जितेन्द्र प्रधान, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बस्तर, स्थान–जगदलपुर छ.ग.** भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 13(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये एतद्द्वारा आदेश जारी करता हूं कि जिला बस्तर जगदलपुर छ.ग. में पदस्थ कंडिका 2 में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा कंडिका 3 में उल्लेखित **माह–अप्रैल 2025** के सार्वजनिक अवकाश दिनांक को अपने स्टाफ सहित दोपहर 3:00 बजे से संध्या 5:00 बजे तक उपस्थित रहकर रिमाण्ड ड्यूटी निष्पादित करेंगें।

माह– अप्रैल 2025

क	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम	रिमाण्ड कार्य दिनांक
01	श्री राहुल शराफ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बस्तर स्थान जगदलपुर	दिनांक 13/04/2025 एवं 20/04/2025
02	श्रीमती अदिति ठाकुर शराफ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बस्तर स्थान जगदलपुर	दिनांक 06/04/2025
03	श्रीमती निहारिका तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बस्तर स्थान जगदलपुर	दिनांक 18/04/2025, 19/04/2025 एवं 27/04/2025
04	कुमारी निती न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बस्तर स्थान जगदलपुर	दिनांक 10/04/2025, 12/04/2025 एवं 14/04/2025

नोट :–

01. यदि किसी कारणवश कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड ड्यूटी के दिन अवकाश पर रहते हैं तो कार्य विभाजन पत्रक अनुसार या अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सहमति लेकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित कर रिमाण्ड ड्यूटी संपादित करेगें।

02. उक्त घोषित अवकाश के अतिरिक्त अन्य तिथियों पर अवकाश घोषित होने पर **माह–अप्रैल 2025** में श्री राहुल शराफ, श्रीमती अदिति ठाकुर शराफ, श्रीमती निहारिका तिवारी एवं कुमारी निती न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बस्तर स्थान जगदलपुर (छ0ग0) द्वारा आपसी सहमति से रिमाण्ड कार्य संपादित किया जायेगा।

दिनांक–05.04.2025
स्थान–जगदलपुर

–Sd–
(जितेन्द्र प्रधान)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बस्तर, स्थान जगदलपुर